बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

—: संकल्प :—

संचिका संख्या—11/आ0 नी0—I—04/2025 सा0प्र0 .... पटना—15, दिनांक—..............

विषयः— राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराने के संबंध में।

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम—1991 (अधिनियम सं०—3/1992) मूल अधिनियम है, जिसे बिहार विभाजन के पश्चात् संशोधित अधिनियम—17/2002 के रूप में अधिनियमित किया गया तथा इसी क्रम में बिहार अधिनियम—16/2003 द्वारा बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण अधिनियम—2003 पारित किया गया है, जिसके आलोक में निम्नांकित रीति से पदों के विनियमन का प्रावधान है—

(i) (क) खुली गुणागुण कोटि से — 50%

(ख) आरक्षित कोटि से — 50%

(ii) आरक्षित कोटि की 50% रिक्तियों में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियाँ इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन निम्नवत होंगीः—

अनुसूचित जाति	—	16%
अनुसूचित जनजाति	—	01%
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	—	18%
पिछड़ा वर्ग	—	12%
पिछड़े वर्ग की महिलायें	—	03%
कुल	—	50%

2. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन में बहु—दिव्यांगता को सम्मिलित करने तथा केन्द्र सरकार द्वारा परिचारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप विभागीय संकल्प सं०—962, दिनांक—22.01.2021 द्वारा दिव्यांगजनों को राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति में 04% एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में 05% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है।

3. राज्य द्वारा स्थापित आरक्षण नीति के तहत तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्र सं०—70, दिनांक—

PATH-C/Mohit Tippani

11.06.1996 द्वारा यह निर्णीत है कि राज्य की सेवाओं की सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात् जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं।

4. राज्य की उक्त आरक्षण नीति बिहार अधिनियम–15/2003 द्वारा दिनांक–11.06.1996 के प्रभाव से निम्नरूपेण प्रावधानित किया गया हैः–

"परन्तु और कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।"

5. प्रस्तुत मामले में विभिन्न स्रोतों से यह ध्यानाकृष्ट कराया गया कि विभागीय संकल्प सं०–962, दिनांक–22.01.2021 द्वारा दिव्यांगजनों हेतु प्रावधानित 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत अन्य राज्यो के दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन होने के कारण राज्य के दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का समुचित अवसर और लाभ नहीं मिल पा रहा है और उन्हें अर्थात् बिहार राज्य के दिव्यांग अभ्यर्थियों को इससे वंचित होना पड़ रहा है।

6. वस्तुस्थिति यह है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०–962 दिनांक–22.01.2021 की कंडिका–2(2) के प्रावधानों के अनुसार "गुणागुण (मेरिट) के आधार पर दिव्यांग अभ्यर्थी की गणना गैर–आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत की जाएगी, बशर्ते उन्होंने आरक्षण से संबंधित कोई छूट, यथा– आयु सीमा, अर्हतांक, कम्प्यूटर सक्षमता इत्यादि का लाभ प्राप्त नहीं किया हों।"

7. इस प्रकार, चूँकि नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगजनों को क्षैतिज रूप से आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाता है और वैसे दिव्यांग अभ्यर्थी जो अपने प्रवर्ग (यथा– (क) अंधा और निम्नदृष्टि (ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास (ग) चलंत दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कष्ठ, बौनापन तेजाब आक्रमण के पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण एवं (घ) स्वपरायण्ता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता इत्यादि) के दिव्यांग अभ्यर्थी के रूप में अर्हता प्राप्त कर गैर आरक्षित वर्ग की कोटि [जिसमें राज्य के बाहर के अभ्यर्थीगण भी गुणागुण (Merit) के आधार पर चयनित हो सकते हैं।] के माध्यम से भी चयनित होते हैं जो सीधे तौर पर राज्य के बाहर के दिव्यांगजन के रूप में परिलक्षित होते हैं। इस प्रकार, राज्य के बाहर के दिव्यांगजनों की तुलना

में यदि राज्य के दिव्यांगजन गुणागुण के आधार पर मेधा सूची (Merit list) में कनीय हो जाते हैं तो वैसी स्थिति में दिव्यांगजन की अर्हता प्राप्त करने के बावजूद उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध वह अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाते हैं और अंततः राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन से वंचित हो जाते हैं। उक्त तथ्यों को दृष्टिपथ में रखते हुए राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही इसका लाभ प्रदान किये जाने की दिशा में ठोस उपाय करते हुए इसे वैधानिक रूप से लागू कराया जाना अपेक्षित है।

8. अन्य राज्यों के संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिहार राज्य के पड़ोसी राज्यों यथा– उत्तर प्रदेश एवं झारखंड राज्य में भी अपने–अपने राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति में सभी कोटि के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों मात्र के लिए ही क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमान्य कराया जा रहा है।

9. अतः समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि–

बिहार अधिनियम–15/2003 में अंकित प्रावधानों के आलोक में राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन में राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराया जाएगा।

10. इस संकल्प में किए गए प्रावधान के अतिरिक्त किसी बिन्दु पर संशय की स्थिति उत्पन्न होने पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निदेश प्रभावी माने जायेंगे।

11. विषयांकित प्रस्ताव पर विधि विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता, बिहार की सहमति प्राप्त है।

12. एतद संबंधी पूर्व में निर्गत आदेश/परिपत्र आदि के असंगत अंश (यदि हों) इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(डॉ० बी० राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव।

PATH-C/Mohit Tippani

ज्ञापांक–11/आ0 नी0–I–04/2025 सा0प्र0 .... पटना–15, दिनांक–................

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प की 500 प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–11/आ0 नी0–I–04/2025 सा०प्र० 8962 **पटना–15, दिनांक–** 21.05.25

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद, पटना/ सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सदस्य सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, बिहार, पटना/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/ स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

21/05/25.

सरकार के संयुक्त सचिव।

PATH-C/Mohit Tippani